

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 994/2024

IN THE MATTER OF:

PURAN SINGH CHOUHAN

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	THE MINUTES OF THE MEETING DATED 26.08.2025 AND THE LETTER DATED 27.08.2025 ARE ANNEXED HEREWITH COLLECTIVELY AS ANNEXURE 1.	
3.	COPY OF INSPECTION REPORT DATED 01.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 2.	
4.	COPY OF INSPECTION REPORT DATED 02.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 3.	

5.	COPY OF INSPECTION REPORT DATED 04.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 4.	
6.	A COPY OF LETTER DATED 04.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 5	
7.	A COPY OF LETTER DATED 02.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 6.	
8.	A COPY OF LETTER DATED 27.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 7.	
9.	THE JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE 8.	
10.	COPIES OF PHOTOGRAPHS AND DRONE VIDEO ARE ATTACHED HEREWITH AND ANNEXED AS ANNEXURE- 9.	
11.	COPIES OF LETTERS DATED 03.09.2025 AND 04.09.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-10.	
12.	COPIES OF THE LETTER DATED 06.09.2025 ISSUED BY THE DEPONENT, THE RESPONSE DATED 06.09.2025 OF THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY, THE SHOW CAUSE NOTICE DATED 06.09.2025, AND THE ADA-APPROVED MAP ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-11.	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in black ink, consisting of the name 'Bhanwar Pal Singh Jadon' written in a cursive style, with a horizontal line underneath.

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bhanwar09jadon@gmail.com)
PHONE NO.-6375115224

Date: **08.09.2025**

Place: **NOIDA**



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 994/2024**

IN THE MATTER OF:


PURAN SINGH CHOUHAN

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.


.....RESPONDENT(s)



**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE,
AGRA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT.
17.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

That I, ARAVIND MALLAPPA BANGARI, aged about 43 years, s/o Sh. SRI MALLAPPA, presently posted as District Magistrate, Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present report.



That I state that the contents of the report have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge

and nothing material has been concealed therefrom. I am fully conversant with the facts of the case and competent and duly authorized to swear this Affidavit.

3. That in the present matter, the applicant has raised allegations that there is a park outside the gate of Manhar Green Colony at Shastripuram Sikandra, Agra which is being damaged and encroached by Bhu-mafias in as much as boundary of park has been damaged, a transformer has been placed, and Septic tank has also been constructed in park itself and thereby status of park has been changed illegally which is causing severe damage to environment.

4. That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 17.07.2025 directed as under:

.... "9. We find the report of the Joint Committee to be contradictory as gate on North side is stated to be closed and the residents of the Gayatri Manhar Green Colony are stated to be using South side. We fail to understand if land on the Southern falling in Khasra No. 152 is not part of Gayatri Manhar Green Colony then how the residents could use Southern gate and

pass through the said land. The soak pit tank has been constructed and even the transformer has been placed in land falling in Khasra No. 152 for use by residents of Gayatri Manhar Green Colony. There is no explanation to why soak pit tank and transformer meant for use by residents of



Gayatri Manhar Green Colony have been constructed in land belonging to other persons as claimed by respondents. These and many other related questions are not answered in the Joint Committee report and the documents enclosed with the same.

10. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have response from (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) SEIAA, Uttar Pradesh through its Member Secretary, (3) District Magistrate, Agra, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary and (5) Agra Development authority through its Vice-Chairman who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the original application accordingly. Respondents no. 1 to 4 are already represented before this Tribunal through Counsel. The Registry is directed to issue notice to respondent no. 5.

11. Responses to the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee and all relevant facts may be filed by the respondents with requisite details within one month.

In the facts and circumstances of the case we consider personal appearance of the District Magistrate, Agra and Vice-Chairman, Agra



Development Authority before this Tribunal physically or through VC and also production of the relevant record before this Tribunal physically through some officers duly authorized by them to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are directed to appear before this Tribunal and also produce the relevant record through duly authorized officer on the next date of hearing fixed."

5. That, in compliance with the aforementioned order, the deponent convened a meeting dated 26.08.2025 and, pursuant thereto, constituted a Joint Committee vide letter dated 27.08.2025, comprising the Secretary, Agra Development Authority; the Additional District Magistrate (Namami Gange), Agra; the Additional District Magistrate (City), Agra; the Deputy District Magistrate (Sadar), Agra; and the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board.

The minutes of the meeting dated 26.08.2025 and the letter dated 27.08.2025 are annexed herewith collectively as **Annexure 1**.

6. That, upon the instructions of the deponent, Joint Committee inspected the site in question in the presence of the petitioner on 30.08.2025. Pursuant thereto, three separate inspection reports were submitted by the ADA dated



02.09.2025, the SDM (Sadar), Agra dated 04.09.2025, and the Regional Office, UPPCB, Agra dated 01.09.2025 to the deponent.

Copies of inspection reports dated 01.09.2025, 02.09.2025 and 04.09.2025 are hereby are annexed herewith as **Annexure 2,3 and 4 respectively.**


7. That, thereafter, in respect to the inspection dated 30.08.2025, the joint committee concluded as hereunder-

- i. That, the site inspection was carried out in the presence of the petitioner, Shri Puran Singh Chauhan.
- ii. That, the total area of Khasra No. 151 is 1.2640 hectares; and within Khasra No. 152, the total area of Khasra No. 152/1 is 3.3650 hectares; and the total area of Khasra No. 152/2 is 0.6740 hectares.
- iii. That, the Chief Engineer, Agra Development Authority, Agra, vide letter dated 04.09.2025, clarified that the layout map approved by the Agra Development Authority pertains to Village Mohammadpur, Khasra No. 151, having a total approved area of 10,469.12 sq. m., and that Manhar Green Colony has been developed within the said approved layout area.

A copy of letter dated 04.09.2025 is annexed herewith as **Annexure**

5.

That, according to the approved layout map of Khasra No. 151 (total approved area 10,469.12 sq. m.), two parks exist with a combined



area of 1,573.63 sq. m; and that no green belt is approved as per the map for Khasra No. 151.

- v. That, in the approved layout map, one large park approved in the middle of the colony has been developed, whereas the second park towards the south remains undeveloped. ADA vide letter dated 02.09.2025 has directed the developer to complete the development in accordance with the approved plan.


A copy of letter dated 02.09.2025 is annexed herewith as **Annexure**

6.

- vi. That, the approved layout map provides for entry and exit from the north side by widening the road to 12.00 metres and granting an approach road. However, the gate installed in the north is not being used by residents, and instead, the gate installed towards the south in Khasra No. 152 is being used. That ADA, vide letter dated 27.08.2025 has directed the developer to ensure compliance with the approved layout map and send a reply by 03.09.2025. (Response from the developer is awaited at the time of filing this Compliance Report).

A copy of letter dated 27.08.2025 is annexed herewith as **Annexure 7.**

- vii. That, as per the measurement conducted by revenue team through ETS method, it is concluded that Gayatri Manhar Green Colony is situated in Khasra No. 151, with a path/road leading from its



southern gate. Triangular-shaped vacant land exists on both sides of the said road, on which some trees and plants are planted. According to the surveyor's map, the aforementioned vacant lands constitute 58.62 sq. m. in Khasra No. 151 and 179 sq. m. in Khasra No. 152.


(Refer to para 8 below).

- viii. That, the domestic wastewater generated from the colony is discharged through manholes and an underground pipeline; and is treated at the 36 MLD Sewage Treatment Plant (STP) at Sadarvan Bichpuri, Agra.

The joint committee report is annexed herewith as **Annexure 8**.

8. That, as per the inspection report dated 04.09.2025 submitted by SDM (Sadar), Agra (*refer to annexure 4*), it is clarified that-

- i. That, a path/road exists from the southern gate of Gayatri Manhar Green Colony (Khasra 151), and there is triangular-shaped vacant land on both sides of the said road, on which some trees and plants are planted. The transformer is at the triangular land on the upper part (left side of the southern road/gate) and the septic tank is at the triangular land on the down part (right side of the southern road/gate) as illustrated in the nazri naksha attached to the annexure 4. That the upper part land is total 140 sq. m in area out of which 51 sq. m falls




in Khasra 151 and the down part land is 97.62 sq. m in area out of which 7.62 sq. m falls in Khasra 151. ii. That, khasra and khatauni of Khasra No. 151, 152/1 and 152/2 attached in annexure 4 disclose as follows:

- a. Gayatri Manhar Green Colony has been developed on Khasra No. 151, covering a total area of 1.2640 hectares. Khasra No. 151 is registered in the name of Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd.
- b. Khasra No. 152 was subdivided into Khasra No. 152/1 and Khasra No. 152/2, as per the revenue records.
 - That, Khasra No. 152/1 is registered in the names of: (i) Agra Development Authority (ii) Girraj Sahakari Awas Samiti Ltd. (iii) Navrang Sahakari Awas Samiti Ltd.
 - That, Khasra No. 152/2 is registered in the name of Madhusudan Sahakari Samiti Ltd.

9. That, further photographs and a drone video have been furnished by the Sub-Divisional Magistrate (Sadar), Agra, depicting a clearer and comprehensive visual representation of the ground situation at the site in question, situated near the southern gate of the colony. Copies of photographs and drone video are attached herewith and annexed as

annexure- 9.



10. That, subsequent to inspection report dated 02.09.2025 sent by Agra Development Authority, the deponent sought further clarification from ADA vide letter dated 03.09.2025. That, Vice Chairman, ADA vide letter dated 04.09.2025 submitted clarification on certain points as already mentioned in para 7 hereinabove. **Apart from that, it was clarified that ADA acquired land bearing Khasra No. 152/1 measuring 0.6910 hectares, which was granted vide award dated 08.11.1991. The distance of this acquired land is approximately 200 meters from the site in question. Also, as per the layout plan approved by ADA, no land has been sanctioned for parks or other utilities, and only residential plots have been sanctioned.**

Letters dated 03.09.2025 and 04.09.2025 are annexed herewith as Annexure-10.

11. That, thereafter, the deponent issued another letter dated 06.09.2025 to the Agra Development Authority seeking further clarifications. In response, the Agra Development Authority, vide its letter dated 06.09.2025, has submitted as under:

i. That, no permission has been granted by the Authority for construction of a septic tank and installation of a transformer on Khasra No. 152. The supply of electricity in the said colony is being undertaken by Torrent Power Limited.



- ii. That, with respect to the use of the South Gate and the access road, it is submitted that the developers did not provide any reply on 03.09.2025 or thereafter. On account of construction being carried out contrary to the approved plan, proceedings have been initiated by issuing a show cause notice to Shrimati Sunita Paliwal (developer) under Section 27 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, and the date 20.09.2025 has been fixed for hearing of the said proceedings.
- iii. That, with regard to the development of the second park, as per the approved development plan, the date of completion of development works as per the plan was fixed as 03.08.2015.
- iv. That, with reference to the disputed portion of Khasra No. 152/2, no layout map has been approved by the Authority for the disputed site near the southern gate of Manhar Green Colony. However, it is clarified that at some distance, Bhavana City Map No. 20200109224428727 has been approved and developed under residential land use on Khasra Nos. 148, 152/1, 152/2 and 171, having a total area of 18,987.10 sq. m.

That, with respect to the damaged boundary wall, no approval has been granted by the Authority at the subject site.



Copies of the letter dated 06.09.2025 issued by the deponent, the response dated 06.09.2025 of the Agra Development Authority, the show cause notice dated 06.09.2025, and the ADA-approved map are annexed herewith and collectively marked as **Annexure-11**.


12. Hence, the present Compliance Report is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Court.

13. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at on this 08 day of September, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



5/25/2025
Explained to Shri. *Ajayind Mallappa Sangani*
Read by *Presented as D.M.*
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on *08/09/2025*
At Agra
Identified by *[Signature]*



[Signature]
DEPONENT

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 विषयक बैठक का कार्यवृत्त :

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 26.08.2025 को सांय 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :-

सर्वश्री:

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
5. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं :-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुक्रम में एक संयुक्त समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य क्रमशः हैं -
 - i. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
 - ii. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा।
 - iii. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
 - iv. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
 - v. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

2. गठित समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है -

- गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 30/08/2025 को प्रातः 11:30 बजे गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में मौके पर जाकर जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।
- गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति की जाँच करना।
- गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच करना।

(कार्यवाही:-उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा, उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांक: 484/L-276/2025

दिनांक: 27.08.25

प्रतिलिपि:- निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
6. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

संलग्नक-2

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 483/L-276/2025

दिनांक 27 अगस्त, 2025

-आदेश-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा सिकन्दरा में निरीक्षण हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति एवं खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच दिनांक 30.08.2025 को प्रातः 11:30 बजे याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जाँच कर निरीक्षण आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 01.09.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

जिलाधिकारी,
आगरा

Email:roagra@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 491 / L-276 / 2025

दिनांक 01 / 09 / 2025

मा०एन०जी०टी० प्रकरण / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

विशय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०-994 / 2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्र सं०-483/एल-276 / 2025 दिनांक 27.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-994 / 2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के संयुक्त निरीक्षण हेतु समिति गठित की गयी एवं जाँच की निरीक्षण आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा के माध्यम से महोदय के समक्ष दिनांक 01.09.2025 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदत्त है। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि गठित समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय वादी श्री पूरन सिंह चौहान उपस्थित थे।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में उपलब्ध तथ्योमय निरीक्षण आख्या 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन विचपुरी, आगरा के शोधित उत्प्रवाह की माह अगस्त, 2025 की विश्लेषण आख्या संलग्नकर महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एवं उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा को ओ०ए० सं०-994 / 2024 प्रकरण में अध्याविधिक आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। चूकि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं०-02 (जिलाधिकारी महोदय, आगरा) की ओर से मा० अधिकरण में दाखिल किये जाने वाले रिस्पॉन्स का ड्राफ्ट स्थायी अधिवक्ता एडवोकेट भंवरपाल सिंह जादौन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना समाचीन है। प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, आगरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति के निर्देश मा० अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 09.09.2025 नियत है।

भवदीय

संलग्नक:-यथोक्त।


(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नांकित महोदयों को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
7. मुख्य विधि अधिकारी (विधि-प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 30.08.2025 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या।

कार्यालय अभिलेखानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 26.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं०-484/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 संलग्नक-1 है, जिसके तत्कम में कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्र सं०-483/एल-276/2025 दिनांक 30.08.2025 संयुक्त निरीक्षण निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उपरोक्त के तत्कम में संयुक्त समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय वादी श्री पूरन सिंह चौहान उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण में प्राप्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये, जो कि कमशः हैं-

(क) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का अक्षांश-27.210176 एवं देशान्तर-77.926601 नोट किया गया है तथा गूगल अर्थ की फोटोग्राफ संलग्न है।

गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कृ०प०उ०

(ख) यह कि नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 04.01.2010 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल-10,863.37 वर्ग मी0 है, जिसका विवरण सारणीवद्ध क्रमशः है-

Area Chart (Area in SqM)		
Total Land Area	10,863.37	%age
Land Area for Road Widening	394.25	
Net Land Area	10,469.12	
Area under Residential Plot	6,141.20	58.66
Area under Utility shopping	142.86	1.36
Total Plot Area	6,284.06	60.02
Area Under Park	1,573.63	15.03
Area Under Road	2,539.70	24.26
Area Under Dalab Ghar	71.73	0.69
Total Residential Plots	61 Nos	

मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी में दो मेन गेट स्थापित पाये गये, जो कि उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में स्थित है। आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा स्वीकृत मानचित्र में उत्तर दिशा में गेट होना सूच्य है। परन्तु कॉलोनी के स्थानिक निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में स्थापित गेट का प्रवेश एवं निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। दक्षिण दिशा में स्थापित गेट/कॉलोनी के अन्दर 61 नग आवासीय प्लॉटों हेतु जल की नियमित सप्लाई किये जाने हेतु ओवरहेड वाटर टैंक स्थापित है, जिसकी अनुमानित भण्डारण क्षमता 1.0 लाख लीटर है। कॉलोनी के दक्षिण गेट के बाहर आवासीय कॉलोनी से जनित घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) का निस्तारण सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाईपलाइन एवं मैनहॉल) के माध्यम से 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा में उपचारित किया जाता है। दक्षिणी गेट के बाहर कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु पोल आधारित ट्रान्सफार्मर (अनुमानित 11 के0वी0ए0) स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ संलग्न है।



(ग) 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा के शोधित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रण/विश्लेषण का कार्य सप्ताहिक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत कार्मिको द्वारा सप्ताहिक किया जा रहा है। माह अगस्त, 2025 की विश्लेषण आख्या संलग्न-2 है। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालको की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

[Handwritten signature and initials]

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	02.08.2025	-	7.86	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	70.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	28.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	110.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	680	1000	<1.8MPN/100 ml & above	Compling

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	08.08.2025	-	7.69	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	74.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	28.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	600	1000	<1.8MPN/100 ml & above	Compling

Sign

Ke

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	14.08.2025	-	7.93	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	58.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	27.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	610	1000	<1.8MPN/100 ml & above	Compling

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञा० सहा०



(क्षितीश पटेल)
सहा० वैज्ञा० अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 483/L-276/2025

दिनांक 27 अगस्त, 2025

—आदेश—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा सिकन्दरा में निरीक्षण हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति एवं खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच दिनांक 30.08.2025 को प्रातः 11:30 बजे याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जाँच कर निरीक्षण आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 01.09.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को अनुपालनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

जिलाधिकारी,
आगरा

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 विषयक बैठक का कार्यवृत्त :

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 26.08.2025 को सांय 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :-

सर्वश्री:

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
5. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं :-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुक्रम में एक संयुक्त समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य क्रमशः हैं -
 - i. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
 - ii. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा।
 - iii. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
 - iv. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
 - v. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
2. गठित समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है -
 - गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 30/08/2025 को प्रातः 11:30 बजे गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में मौके पर जाकर जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।
 - गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 भू स्वामित्व की स्थिति की जाँच करना।
 - गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं0-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच करना।
 (कार्यवाही:-उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा, उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) आगरा)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांक: 484/L-276/2025

दिनांक: 27.08.25

प्रतिलिपि:- निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
6. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।



REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 14, Sector-3 B, Avas Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 33156033/Agra/2025

Date: 29/08/2025

- 1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI
- 2- Address of Industry: BICHPURI
- 3- District: Agra
- 4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & --
- 7- Colour and Odour: Turbid not Specific
- 8- Quantity and Packing: one liter Jerican
- 9- Date of Sample Collection: 02/08/2025
- 10- Analysis Indented by: RO Agra
- 11- Date of sample receipt in Lab: 02/08/2025
- 12- Period of Analysis: 03
- 13- ULR Number: -
- 14- Sampling Plan/Ref. No.: 33156033
- 15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.86	6.50-8.50	02-12
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	70.0	100	10-20000 mg/l
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	28.0	30	1.0 -50000 mg/l
4	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	110.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

A.MIT MISHRA

Digitally signed by AMIT MISHRA
Date: 2025.09.01 15:05:13
+05'30'

Regional Officer

UPPCB/CL/7.8.2	Issue No.: 01	Issue Date: 29.08.2025	Page No.: Page 1 of 2
	Amendment Date: 29.08.2025	Approved by: TM	Issued by: QM



REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 14, Sector-3 B, Avas Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 33156033/Agra/2025

Date: 29/08/2025

- 1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI
- 2- Address of Industry: BICHPURI
- 3- District: Agra
- 4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & - -
- 7- Colour and Odour: Turbid not Specific
- 8- Quantity and Packing: one liter Jerican
- 9- Date of Sample Collection: 02/08/2025
- 10- Analysis Indented by: RO Agra
- 11- Date of sample receipt in Lab: 02/08/2025
- 12- Period of Analysis: 03
- 13- ULR Number: -
- 14- Sampling Plan/Ref. No.: 33156033
- 15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	4800	-	<1.8 MPN/100 ml & above
2	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	680	1000	<1.8 MPN/100 ml & above

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

AMIT MISHRA

Digitally signed by AMIT
MISHRA
Date: 2025.09.01 15:05:22
+05'30'

Regional Officer



**REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

14, Sector-3 B, Avasth Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 33263992/Agra/2025

Date:29/08/2025

- 1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI
- 2- Address of Industry: BICHPURI
- 3- District: Agra
- 4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & NA NA
- 7- Colour and Odour: Turbid None
- 8- Quantity and Packing: 1 Ltr Jerican
- 9- Date of Sample Collection: 08/08/2025
- 10- Analysis Indented by: RO Agra
- 11- Date of sample receipt in Lab: 11/08/2025
- 12- Period of Analysis: 03
- 13- ULR Number: -
- 14- Sampling Plan/Ref. No.: 33263992
- 15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.69	6.50-8.50	02-12
2	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	74.0	100	10-20000 mg/l
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	28.0	30	1.0 -50000 mg/l
4	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	130.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

AMIT MISHRA

Digitally signed by AMIT
MISHRA
Date: 2025.09.01 12:07:36
+05'30'

Regional Officer

UPPCB/CL/7.8.2	Issue No.: 01	Issue Date:29.08.2025	Page No.:Page 1 of 2
	Amendment Date: 29.08.2025	Approved by: TM	Issued by: OM



REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 14, Sector-3 B, Avas Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 33263992/Agra/2025

Date: 29/08/2025

- 1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI
- 2- Address of Industry: BICHPURI
- 3- District: Agra
- 4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & NA NA
- 7- Colour and Odour: Turbid None
- 8- Quantity and Packing: 1 Ltr Jerican
- 9- Date of Sample Collection: 08/08/2025
- 10- Analysis Indented by: RO Agra
- 11- Date of sample receipt in Lab: 11/08/2025
- 12- Period of Analysis: 03
- 13- ULR Number: -
- 14- Sampling Plan/Ref. No.: 33263992
- 15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	11000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
2	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	600	1000	<1.8 MPN/100 ml & above

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

Digitally signed by AMIT MISHRA
 Date: 2025.09.01 12:07:45 +05'30'
AMIT MISHRA
 Regional Officer



REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 14, Sector-3 B, Avas Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Date: 30/08/2025

Ref No: 33325048/Agra/2025

- 1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI
- 2- Address of Industry: BICHPURI
- 3- District: Agra
- 4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & - -
- 7- Colour and Odour: Slightly Yellowish not Specific
- 8- Quantity and Packing: one ltr jerican
- 9- Date of Sample Collection: 14/08/2025
- 10- Analysis Indented by: RO Agra
- 1- Date of sample receipt in Lab: 14/08/2025
- 12- Period of Analysis: 03
- 13- ULR Number: -
- 14- Sampling Plan/Ref. No.: 33325048
- 15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.93	6.5-8.5	02-12
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	58.0	100.0	10-20000 mg/l
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	27.0	30.0	1.0 -50000 mg/l
4	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	130.0	250.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

Digitally signed by AMIT
MISHRA
Date: 2025.09.01 13:08:43
+05'30'
AMIT MISHRA
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY AGRA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 14, Sector-3 B, Avasth Vikas, Sikandra Yojna, Agra

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 33325048/Agra/2025

Date: 30/08/2025

1- Name of Industry: 36MLD STP BICHPURI, BICHPURI

2- Address of Industry: BICHPURI

3- District: Agra

4- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP

5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab

6- Sample Collected By: Amarendra Singh SA & - -

7- Colour and Odour: Slightly Yellowish not Specific

8- Quantity and Packing: one ltr jerican

9- Date of Sample Collection: 14/08/2025

10- Analysis Indented by: RO Agra

11- Date of sample receipt in Lab: 14/08/2025

12- Period of Analysis: 03

13- ULR Number: -

14- Sampling Plan/Ref. No.: 33325048

15- Sampling Method Ref.: APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	11000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
2	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	610	1000	<1.8 MPN/100 ml & above

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Amarendra Singh(SA)]

Authorized by

KSHITESH PATEL (ASO)

AMIT MISHRA Digitally signed by AMIT MISHRA
Date: 2025.09.01 13:08:57 +05'30'

Regional Officer



कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

संलग्नक-3
ANNEXURE-3

पत्राक - 1713 / डी/ओनो/25-26

दिनांक : 02/9/25

1. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे),
आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा के कार्यालय पत्र सं०-483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु आपके द्वारा समिति गठित करते हुये दिनांक 30.08.2025 को संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया। नियत समय एवं तिथि पर संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल की आख्या निम्नानुसार है :-

"अवगत कराना है कि श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल, सचिव द्वारा श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि० के नाम से ग्राम मोहम्मदपुर खसरा सं०-151 आगरा के कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी० पर दिनांक 04.08.2010 को आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया। उक्त तलपट मानचित्र को खसरा सं०-151 के उत्तर दिशा में विद्यमान चक मार्ग को रोड वाइडनिंग कर 12.00 मी० चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत कराया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा जिस सन्दर्भित भूमि का उल्लेख किया गया है वह भूमि खसरा सं०-152 है। इस सन्दर्भित भूमि पर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है।" आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया


सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण,
dc आगरा।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।


सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण,
dc आगरा।

विषय:- गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा आगरा के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
आगरा।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 483/एल0276/2025 दिनांक 27.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यूपी) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा में निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

यथा निर्देश अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 4869/एस0टी0 दिनांक 30.08.2025 के द्वारा राजस्व टीम गठित की गयी। राजस्व टीम द्वारा दिनांक 01.09.2025 को स्थल पर घनी आवादी बने होने के कारण टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से पैमाईश कराए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी। तदनुसार राजस्व टीम व सर्वेयर द्वारा ई0टी0एस0 के माध्यम से पैमाईश कार्य कराया गया। राजस्व टीम की आख्या निम्नवत है:-

प्रश्नगत स्थल गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा आगरा राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर तहसील सदर आगरा के अन्तर्गत स्थित है। उक्त गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी गाटा सं0 151 में बनी है। गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट से एक रास्ता/सड़क प्रचलित है तथा उक्त सड़क के दोनों ओर त्रिभुज आकृति में खाली भूमि पडी हुई है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रश्नगत स्थल सर्वेयर से प्राप्त भूचित्र के अनुसार खसरा सं0 151 में 58.62 वर्गमी0 तथा खसरा सं0 152 में 179 वर्गमी0 का भाग है।

संलग्न खतौनी खसरा सं0 151 कुल क्षेत्रफल 1.2640हे0 के स्तम्भ-2 में संक्रमणीय भूमिधरों के नाम मूला पुत्र विपती नि0- ग्राम, रनवीर व भगवानदास पुत्रगण- बुद्धा नि0- ग्राम व श्रीमती लीलावती पत्नी बुद्धा नि0-ग्राम व गिर्राज सह0 आवास लि0 द्वारा अध्यक्ष गिर्राज मित्तल व नवरंग सह0 आ0 सं0 लि0 द्वारा सभापति हरीशंकर लवानियां का नाम अंकित है। खतौनी के पूर्व आदेशों के विवरण में संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के अनुसार के मध्य खसरा सं0 151 व 152 में श्री रामानुज सह0 आ0 समि0 लि0 व श्री तीर्थ सह0आ0समि0लि0 आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया। खसरा सं0 152/1मि0 क्षेत्रफल 3.3650हे0 के स्तम्भ-2 (खतौनी) में गिर्राज सह0 आ0 समिति लि0 आगरा, नवरंग सह0 आ0 समिति लि0 व गिर्राज सिंह निरोत्तम सिंह, रामचन्द्र पुत्रगण रेशम सिंह नि0 ग्राम व शुम्भ हाउसिंग का नाम अंकित खतौनी है। आदेशों के विवरण में आवादी घोषित होने व संयुक्त आवास आयुक्त /संयुक्त निबन्धक के अनुसार रामानुज सह0 आ0 समि0 लि0 आगरा व श्री तीर्थ सह0 आ0 समि0 लि0 आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया है, तथा खसरा सं0 152/2 क्षे.फ. 0.6740हे0 पर खतौनी स्तम्भ-2 में मधुशूदन सह0 आ0समि0 लि0 आगरा व श्री निकेतन डवलपर्स के नाम अंकित है।

स्थल पर श्री पूरन सिंह चौहान के बयान अंकित किये गये जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी शास्त्रीपुरम के दक्षिणी गेट के सामने चल रही सड़क व उसके दोनों ओर की भूमि को डवलपर के भाई द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। जिसे पूर्ववत: रखा जाए।

स्थल पर रास्ता/सड़क चालू है, तथा गेट के बायीं ओर व दायीं ओर भूमि रिक्त पडी है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। बायीं ओर तिकोनियां में ट्रांस फार्मर लगा है। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न-यथोक्त

04/09/25
उप जिलाधिकारी,
सदर, आगरा।

ग्राम- मुटकारडर - तहसील- अरर बाजप
गांधी मंदर ग्रिन कार्नी
दि 30/08/2025.




श्री प्ररुनकिं मंडर (बाजी)



ग्रामाट बाज



ग्रामाट बाज



30/08/2025
M. S. (15)

महादप

संलग्न पत्रांक 4869/58/30-8-2025, कार्यालय श्रीमान
उपनिष्ठाधिकारी सहरा, ग्राम. मुहम्मदपुर
के अन्तर्गत गांधी मन्दिर ग्रीन कॉलोनी में जांच पैदाश
कार्य हेतु गठित राजस्व टीम उपस्थित हुए। स्थल पर
उक्त कॉलोनी शास्त्रीपुरम के अन्तर्गत घनी आवड़ी
के अन्दर है। जिले के स्थल पर भौतिक परिवर्तन
हो जाने के कारण पैदाश कार्य हेतु ई.टी.एस
से पैदाश कार्य व प्रश्नगत स्थल की वस्तु स्थिति
से अवागत हो सकते हैं अतः श्रीमान से अनुरोध
है उक्त कार्य हेतु ई.टी.एस. से अपेक्षित कार्यवाही
कराई जाने हेतु आदेशित कर्तव्य की रूप करें।

01/09/2025

01/09/25

श्रीमान (स.)

01/09/2025

01/09/25

01/09/25

01/09/25

NT विचपुरी

को समन्वय स्थापित कर
ETS के माध्यम से सर्वे
सम्पादित करें।

01/09/25
BDM.

उपस्थित पत्र -

आज दि. 01 Sept. 2025 को, श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर. आगा, के पत्रंक 4869/अ/30-8.25 के आदेश के अनुपालन में, गठित राजस्व. टीम खाल पर राजस्व ग्राम. मुहम्मदपुर तहसील सदर. आगा का गापत्री मनहर गीन कालौनी में उपस्थित हुए। उपस्थित के समय उक्त कालौनी के निम्न हस्ताक्षरित व्यक्तियों के समक्ष जांच की गयी।

राजस्व टीम.

1
01/09/2025
Mansuri (E)
[Signature]

स्थानीय उपस्थित व्यक्तियों

~~1~~ धर्मवीर कोरिया
[Signature] प्रदीप यादव
[Signature] शिवम सेना
[Signature] श्रीराम सिंह
[Signature] देवेंद्र यादव

Date - 01-09-2025

जानमी पूरनासिंह चौधरी 21027 गांधी नगर ग्रीन
 कार्पोरेट शास्त्रीपुरम आगरा, शपथ पूर्वक जान
 किता कि मैं पूर्व सचिव उक्त सोसाइटी का रहा
 हूँ। जान किता कि उक्त कार्पोरेट लाईन दिता में
 जेड के सामने सड़क के दोनों ओर भी हरिकोत्र
 दीकत 70 मी ओमकार दीकत डबलपर्स द्वारा
 ग्रीन जोन बना कर दिता गया था। उक्त ग्रीन जोन
 को बिलर के भाई किणु दीकत ने वाउचर लोडका
 ग्रीन जोन को नष्ट किता गया, उक्त को वह कक्का
 कला चाहते थे। हमारा अनुरोध है कि विगत वर्षी
 की भांति ग्रीन जोन की पूर्ववत प्रथासिद्धि कायम
 रखी जाए। बिलर के भाई के द्वारा उक्त जेड को
 बन्द करवाने व निकलने न देने के वाकत —
 धनकितां नी जा रही हों अतः निवेदन है
 कि प्रथासिद्धि बहाल रखी जाए। जान सुकत
 तस्दीक किता।

[Signature]
 30/8/25
 9410044071
 श्री उद्योग पावन

142
 8 30/8/25
 9760428195
 श्री पूरनासिंह चौधरी

[Signature]
 30/08/2025
 मरान (5.)

उपस्थित पत्र -

- कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 483/L.276/2025 दिव 27 अगस्त 2025 बाबत प्राठ राष्ट्रिय हरित अधिकार नड दिल्ली ओर लॉ नं. 994/2024 (पूरन निरं चोदक VS स्टेट आर्य.क्षेत्री) में पारित आदेश दिव 17.07.2025 के अनुपालन में जायजी मनहर गीन कालौनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, के सम्बन्ध में - स्थल पर उपस्थित हुए श्री पूरन नि चोदक व अन्य को - सुना गया।

30/8/25

9760428195 (पूरन नि चोदक)

9410044071

श्री प्रदीप भास्कर

30/08/2025
श्रीमान (श्री)

व्यानम्री धर्मवीर कौशिक १० श्री वी. पी. कौशिक नि० H.N.O.2-
गापत्री मन्हर कालौनी शास्त्रीपुरम आगरा -

• श्राप्य पूर्वक व्यान किया कि . गापत्री मन्हर ग्रीन कालौनी
का वर्तमान सचिव हैं। उक्त कालौनी का मैज गेट दक्षिण
दिशा स्थित है। एवम गेट के सामने रोड 12 मी के बने
और ग्रीन जोन बनाकर दिया गया। उक्त सड़क ग्रीन जोन
जो कि कालौनी के दक्षिणी गेट के सामने पूर्व से चल
रहा है, प्रभावत रक्षी जाय। तथा तीर्थकार सह समिति व
मिरजि सह समिति एवम डवलपर हरि ओरु डीप्लि
ने। जिस प्रकार ग्रीन जोन, रोड गेट आदि, व लेफ्टी ब्रेक
इ-समाप्त लगाकर दिया गया है। उक्त पर अति कुतर्क न
हो।

व्यान सुनकर तत्कीक किया।



11/9/2025

Mob. 9897 119465

क : 134574202508101	(8) वार का अंश	(9) खातेवार द्वारा देय भू-राजस्व	48.90	(16) क्षेत्रफल (हे.)	संयुक्त समिति लि० आगरा उ०प्र०	लखनऊ आदेश पत्रांक 3141 / सह० / दि०	समितियो श्री रामानुज सह० आ० समिति	के भीतर किसी भी सदस्य ने आपत्ति	नं० 5 द्वारा श्री रामानुज सह० आ० समिति	T.0.5760 है० 4-मुहम्मदपुर गा०सं० 152/1
---------------------	----------------	----------------------------------	-------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	--

1/1

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा। (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक: 92/एस०टी०/ए०डी०एम०(एन०जी०)/2025

दिनांक: 04/09/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी
आगरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में संयुक्त जाँच की संकलित आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक संख्या 483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-994/2024 (पूरन सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा सिकन्दरा में निरीक्षण हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया था।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के दक्षिणी गेट के निकट खसरा नं०-152 भू स्वामित्व की स्थिति एवं खसरा नं०-152 पार्क की सीमा पर हुए अतिक्रमण की जाँच कर संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

04/09/2025

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
आगरा

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124574202508103

भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00071

जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम का नाम (परगना) : मुहम्मदपुर(आगरा) तहसील : आगरा

श्री 1-क/ भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूर्वीक कोड)	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल (हे.)
1522	1) मधु सूदन सह(अ)सि०/लि० / - / - 2) आगरा द्वारा संचित / - / - 3) अनुराग अग्रवाल / त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल / युभावनार आगरा 4) श्रीनिवसन इन्टरवर्ब एका12 टपाल अर्केड अपी० / ... / ... 5) श्री टर्कीपत्र बार्डपस रोड न्यू आगरा द्वारा पार्टनर / ... / ... 6) प्रगल्किशोर अग्रवाल / श्रीनिवासअग्रवाल / लि० ई-743 कमलानगर आगरा		1413फ	1522(1245740152100212)	0.6740
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण					
कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल : 0.6740 (हेक्टर) कुल भू-अवसल : 20.28 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : (0.0000)(हेक्टर)					
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया	
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूर्वीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूर्वीक कोड
		1522(1245740152100212)		1522(1245740152100212)	
पूर्व आदेशों का विवरण					
<p>(17) भूमि के सबन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :</p> <p>(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति</p> <p>(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :</p> <p>(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :</p> <p>(19) अभ्युक्ति :</p>					
<p>पूर्व आदेशों का विवरण</p> <p>Date Digitally Signed by: CHANDRA PRAKASH RAJPUT/REGISTRAR KNOONGO</p> <p>दिनांक/समय/स्थान: 30-08-2025 04:43:03 इलाहाबाद, आगरा</p> <p>यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।</p>					





PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
SURVEY SITE PLAN OF KH-NO. 151 MAUZA MOHAMADPUR TEH.SADAR DISST AGRA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Survey
Kh/No




UPPER PART (A) LAND

Signature
Swanson




CENTRAL PART (A) ROAD


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DOWN PART (C) LAND






Handwritten signature

UPPER PART (A) LAND


Signature
Swanson




CENTRAL PART (A) ROAD

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



DOWN PART (C) LAND



4 Park & Green Belt

	Nos	1452.48	1452.48
1	1		
2	1	121.15	121.15
Total	2.00		1,573.63


CAT
G-5
MIN

Area Chart (Area in SqM)


	10,863.37	%age
Total Land Area	394.25	
Land Area for Road Widening	10,469.12	
Net Land Area	6,141.20	56.66
Area under Residential Plot	142.86	1.36
Area under Utility shopping	6,284.06	60.02
Total Plot Area	1,573.63	15.03
Area Under Park	2,539.70	24.26
Area Under Road	71.73	0.69
Area Under Dalab Ghar		

A GRC
HEAD
G-5

M



KEY PLAN





OTHER'S PROPERTY

राजस्व ग्राम-मुहम्मदपुर

गापत्री मन्दिर जीन कालौनी

शास्त्री पुरम आगरा - खसरा सं०-151

नजरी अकशा





आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1737/57/अ0नि0/2025-26

दिनांक : 04.09.2025

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024, Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्रांक-493/L-276/2025, दिनांक 03.09.2025 में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

बिन्दु सं0-01 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी0) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार पार्कों की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी0 है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिशा की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1711/डी/अ0नि0/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।


बिन्दु सं0-02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1668/डी/अ0नि0/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु सं0-03 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1 की भूमि पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार कोई भी पार्क एवं उपयोगिता (यूटिलिटी) हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर सिर्फ आवासीय भूखण्ड सृजित किए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सादर अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-152मि०/1, रकवा 0.6910 है० भूमि सिकन्दरा आवासीय योजना (शास्त्रीपुरम) के अन्तर्गत भू-अर्जन अधियम, 1894 की धारा-4(1)/17 दिनांक 30.01.1989 व धारा-6(1)/17 दिनांक 05.09.1989 में शामिल है, जिसका एवार्ड दिनांक 08.11.1991 को घोषित हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त अर्जित भूमि की प्रश्नगत संदर्भित स्थल (मनहर ग्रीन कॉलोनी दक्षिण बाउण्ड्री) से दूरी लगभग 200 मी० है (सजरा प्लान की छायाप्रति संलग्न)।

अतः तदनुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीया

 4/9/25

उपाध्यक्ष,
आ०वि०प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।


उपाध्यक्ष



कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

ANNEXURE-6

38

पत्रांक - 1711 / डी / अ0नि0 / 25-26

दिनांक 02/09/25

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,


श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल,
श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि0
नि0- नेहरू नगर, आगरा।

विषय :- आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा खसरा सं0-151 मोहम्मदपुर, आगरा पर मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कार्य न कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया आपके द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से खसरा संख्या-151, मोहम्मदपुर, आगरा पर ले-आउट प्लान सं0-1299/BFL/01/09-10 दिनांक 04.10.2010 को मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत कराया गया था। आपके द्वारा स्थल पर स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के विपरीत दक्षिण दिशा में स्थित छोटे पार्क की भूमि पर मन्दिर आदि का निर्माण किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।


भवदीय


प्रभारी प्रवर्तन
OC

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. श्री पूरन सिंह चौहान, सचिव, मकान नं0-27 गायत्री मनहर ग्रीन्स कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा को सूचनार्थ।


31/9/25


प्रभारी प्रवर्तन
OC



कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

38

पत्रांक - 1711 / डी / अ0नि0 / 25-26

दिनांक 02/09/25

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,


श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल,
श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि0
नि0- नेहरू नगर, आगरा।

विषय :- आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा खसरा सं0-151 मोहम्मदपुर, आगरा पर मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कार्य न कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया आपके द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से खसरा संख्या-151, मोहम्मदपुर, आगरा पर ले-आउट प्लान सं0-1299/BFL/01/09-10 दिनांक 04.10.2010 को मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत कराया गया था। आपके द्वारा स्थल पर स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के विपरीत दक्षिण दिशा में स्थित छोटे पार्क की भूमि पर मन्दिर आदि का निर्माण किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।


भवदीय


प्रभारी प्रवर्तन
OC

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
3. श्री पूरन सिंह चौहान, सचिव, मकान नं0-27 गायत्री मनहर ग्रीन्स कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा को सूचनार्थ।


31/9/25


प्रभारी प्रवर्तन
OC



कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

संलग्नक (8)
ANNEXURE-7

पत्रांक : 1668 / डी / अ.नि. / 25-26

दिनांक: 27/08/2025

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल,
श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि०
नि०-नेहरू नगर, आगरा।

विषय : आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा खसरा सं०-151 मोहम्मदपुर, आगरा पर मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कार्य न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से खसरा सं०-151 मोहम्मदपुर, आगरा पर ले-आउट प्लान सं०-1299/BFL/01/09-10 दिनांक 04.10.2010 को मनहर ग्रीन्स के लिए स्वीकृत कराया गया था। आपके द्वारा स्थल पर स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के विपरीत दक्षिण में गेट खोल कर उपयोग किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 03.09.2025 तक इस कृत्य हेतु स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. श्री पूरन सिंह चौहान, सचिव, मकान नं०-27 गायत्री मनहर ग्रीन्स कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा को सूचनार्थ।

27-08-2025
प्रभारी प्रवर्तन

27-08-2025
प्रभारी प्रवर्तन

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में संयुक्त जाँच की संकलित आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"10. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have response from (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, (2) SEIAA, Uttar Pradesh through its Member Secretary, (3) District Magistrate, Agra, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary and (5) Agra Development authority through its Vice-Chairman who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the original application accordingly. Respondents no. 1 to 4 are already represented before this Tribunal through Counsel. The Registry is directed to issue notice to respondent no. 5.

11. Responses to the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee and all relevant facts may be filed by the respondents with requisite details within one month.

12. In the facts and circumstances of the case we consider personal appearance of the District Magistrate, Agra and Vice-Chairman, Agra Development Authority before this Tribunal physically or through VC and also production of the relevant record before this Tribunal physically through some officers duly authorized by them to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly they are directed to appear before this Tribunal and also produce the relevant record through duly authorized officer on the next date of hearing fixed.

13. In view of the Precautionary Principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010, we direct that status quo be maintained with respect to the land comprised in Khasra No. 152 and no third-party rights be created in respect to the same by any of the parties till further orders to the contrary.

14. None has appeared for the applicant today. An effort was made to contact the applicant during the course of the hearing of the case which remained unsuccessful. Presence of the applicant is also essential for just and proper adjudication of the questions involved.

15. The Registry is directed to inform the applicant about the next date of hearing fixed requiring the applicant to appear on that date physically or through VC while mentioning that in case of its non-appearance appropriate orders for imposition of cost on the applicant may be passed.

16. List for further consideration on 09.09.2025. "

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुक्रम में अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निम्नांकित कृत कार्यवाही का विवरण क्रमशः है-

(क) यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 26.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं0-484/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 (संलग्नक-1) है।

(ख) बैठक दिनांक 26.08.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्र सं0-483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 (संलग्नक-2) संयुक्त निरीक्षण निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उपरोक्त के तत्कम में संयुक्त समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय वादी श्री पूरन सिंह चौहान उपस्थित थे।

(ग) संयुक्त निरीक्षणोंपरान्त आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, जिला प्रशासन, आगरा एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा में विभागवार उपलब्ध कार्यालय अभिलेखों अनुसार निम्नांकित जॉच आख्या प्राप्त हुयी हैं, जिसका विवरण कमशः है—

• आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा:—

सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग पत्र सं०-1713/डी/अ०नि०/2025-26 दिनांक 02.09.2025 (संलग्नक-3) द्वारा नियत समय व तिथि पर संयुक्त निरीक्षणोंपरान्त आख्या प्रेषित की गयी है। जो कि कमशः है—

“ अवगत कराना है कि श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल, सचिव द्वारा श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि. के नाम से ग्राम-मोहम्मदपुर खसरा नं०-151 आगरा के कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी० पर दिनांक 04.08.2010 को आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया। उक्त तलपट मानचित्र को खसरा नं०-151 के उत्तर दिशा में विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी० चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत कराया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा जिस संदर्भित भूमि का उल्लेख किया गया है वह भूमि खसरा नं०-152 है। इस संदर्भित भूमि पर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है।” यह कि उक्त प्रस्तुत स्थल की आख्या के परिशीलनोंपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 493/एल-276/2025 दिनांक 03.09.2025 (संलग्नक-4) द्वारा निम्नांकित तथ्यों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है:—

बिन्दु संख्या-1	मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्कों की संख्या, क्षेत्रफल एवं ग्रीनबेल्ट का विवरण तथा वर्तमान की स्थिति का उल्लेख नहीं है।	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या-1737/डी/अ०नि०/2025-26 दिनांक 04.09.2025 द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के कम में आख्या प्रस्तुत की गई है (संलग्नक-5) कमशः— मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र (संलग्नक-6) के अनुसार पार्कों की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी० है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिश की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को
-----------------	--	---

		स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1711/डी/अ0नि0/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (संलग्नक-7)
बिन्दु संख्या-2	खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरत दक्षिण दिशा में स्थापित गेट के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विभागीय कृत कार्यवाही की सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।	खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चकमार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1668/डी/अ0नि0/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (संलग्नक-8)
बिन्दु संख्या-3	आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा खसरा सं0-152, में सार्वजनिक उपयोग के लिये पार्क और अन्य उपयोगिता (यूटिलिटी) जैसी- आवश्यक सुविधाओं के लिये भूमि का आवंटन की वस्तु स्थिति का उल्लेख नहीं है।	प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1 की भूमि पर स्वीकृत तल पट मानचित्र के अनुसार कोई भी पार्क एवं उपयोगिता (यूटिलिटी) हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर सिर्फ आवासीय भूखण्ड सृजित किए गए है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सादर अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1, रकवा 0.6910 है0 भूमि सिकन्दरा आवासीय योजना (शास्त्रीपुरम) के अन्तर्गत भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4(1)/17 दिनांक 30.01.1989 व धारा-6(1)/17 दिनांक 05.09.1989 में शामिल है, जिसका एवार्ड दिनांक 08.11.1991 को घोषित हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त अर्जित भूमिकी प्रश्नगत संदर्भित स्थल (मनहर ग्रीन कॉलोनी दक्षिण

		<p>बाउण्ड्री) से दूरी लगभग 200 मी० है (संलग्नक-9)</p> <p>मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या 1742/डी/अ.नि./25-26 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम- मोहम्मदपुर, खसरा संख्या- 151(कुल स्वीकृत क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्थल पर मनहर ग्रीन कॉलोनी स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी० में ही विकसित है।(संलग्नक-10)</p>
--	--	---

• **उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा:-**

उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा के पत्र संख्या 4955/एस०टी० दिनांक 04.09.2025 द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजस्व टीम द्वारा दिनांक 01.09.2025 को स्थल पर घनी आबादी बने होने के कारण टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से पैमाईश कराए जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी। तदनुसार राजस्व टीम व सर्वेयर द्वारा ई०टी०एस० के माध्यम से पैमाईश कार्य कराया गया। राजस्व टीम की आसख्या निम्नवत् है:-

प्रश्नगत स्थल गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर तहसील सदर आगरा के अन्तर्गत स्थित है। उक्त गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी गाटा संख्या 151 में बनी है। गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट से एक रास्ता/सड़क प्रचलित है तथा उक्त सड़क के दोनों ओर त्रिभुज आकृति में खाली भूमि पड़ी हुई है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रश्नगत स्थल सर्वेयर से प्राप्त भूचित्र के अनुसार खसरा सं०-151 में 58.62 वर्गमी० तथा खसरा सं०152 में 179 वर्गमी० का भाग है।

संलग्नक खतौनी खसरा सं० 151 कुल क्षेत्रफल 1.2640हे० के स्तम्भ-2 में संक्रमणीय भूमिधरों के नाम मूला पुत्र विपती नि०-ग्राम, रनवीर व भगवानदास पुत्रगण-बुद्धा नि०-ग्राम व श्रीमती लीलावती पत्नी बुद्ध नि०- ग्राम व गिर्राज सह० आवास लि० द्वारा अध्यक्ष गिर्राज मित्तल व नवरंग सह० आ० स० लि० द्वारा सभापति हरीशंकर लवालियां का नाम अंकित है। खतौनी के पूर्व आदेशों के विवरण में संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के अनुसार के मध्य खसरा सं०-151 व 152 में श्री रमानुज सह०आ० समि० लि० व श्री तीर्थ सह०आ०समि०लि० आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया। खसरा सं०- 152/1मि० क्षेत्रफल 3.3650हे० के स्तम्भ-2 (खतौनी) में गिर्राज सह०आ०समिति लि० आगरा, नवरंग सह०आ० समिति लि० व गिर्राजा सिंह निरोत्तम सिंह, रामचन्द्र पुत्रगण रेशम सिंह नि० ग्राम० व शुम्भ हाउसिंग व का नाम अंकित खतौनी है। आदेशों के विवरण में आबादी घोषित होने व संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक के अनुसार रमानुज सह०आ०समि०लि० आगरा व श्री तीर्थ सह०आ०समि०लि० आगरा के मध्य परिसम्पत्तियों व दायित्वों का विभाजन किया गया है, तथा खसरा सं० 152/2 क्षेत्रफल 0.6740हे० पर खतौनी स्तम्भ-2 में मधुशुदन सह०आ०समि०लि० आगरा व श्री निकेतन डवलपर्स के नाम अंकित है।

स्थल पर श्री पूरन सिंह चौहान के बयान अंकित किये गये जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी शास्त्रीपुरम के दक्षिणी गेट के समाने चल रही सड़क व उसके दोनों

ओर की भूमि को डवलपर के भाई द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। जिसे पूर्ववत: रखा जाए।

स्थल पर रास्ता/सड़क चालू है, तथा गेट की बायीं ओर व दायीं ओर भूमि रिक्त पड़ी है। जिसपर कुछ वृक्ष व पौधे लगे हुये हैं। बायीं ओर तिकोनिया में ट्रांसफार्मर लगा है।”

● **क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा :-**

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र संख्या-491/ एल-276/2025 दिनांक 01.09.2025 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा को निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई, जोकि संलग्नक-11 है। निरीक्षण आख्या में उल्लिखित तथ्य कमश: हैं-

- (अ) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा का अक्षांश-27.210176 एवं देशान्तर-77.926601 नोट किया गया है तथा गूगल अर्थ की फोटोग्राफ संलग्न है।

गायत्री मनहर ग्रीन कालोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा



- (ब) यह कि नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 04.01.2010 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल-10,863.37 वर्ग मी० है, जिसका विवरण सारणीवद्ध कमश: है-

Area Chart (Area in SqM)		
Total Land Area	10,863.37	%age
Land Area for Road Widening	394.25	
Net Land Area	10,469.12	
Area under Residential Plot	6,141.20	58.66
Area under Utility shopping	142.86	1.36
Total Plot Area	6,284.06	60.02
Area Under Park	1,573.63	15.03
Area Under Road	2,539.70	24.26
Area Under Dalab Ghar	71.73	0.69
Total Residential Plots	61 Nos	
Park & Green Belts	(1) 1452.48	-
	(2) 121.15	-

मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी में दो मेन गेट स्थापित पाये गये, जो कि उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में स्थित है। आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा स्वीकृत मानचित्र में उत्तर दिशा में गेट होना सूच्य है। परन्तु कॉलोनी के स्थानिक निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में स्थापित गेट का प्रवेश एवं निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। दक्षिण दिशा में स्थापित गेट/कॉलोनी के अन्दर 61 नग आवासीय प्लॉटों हेतु जल की नियमित सप्लाई किये जाने हेतु ओवरहैड वाटर टैंक स्थापित है, जिसकी अनुमानित भण्डारण क्षमता 1.0 लाख लीटर है। कॉलोनी के दक्षिण गेट के बाहर आवासीय कॉलोनी से जनित घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) का निस्तारण सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाईपलाइन एवं मैनहॉल) के माध्यम से 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा

में उपचारित किया जाता है, जिसकी वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 492/एल-276/2025 दिनांक 02.09.2025 (संलग्नक-12) द्वारा महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा को पत्र प्रेषित कर सूचना चाही गयी है, जिसके क्रम में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जोन-हरी पर्वत, जलकल विभाग, आगरा के पत्रांक संख्या-687/ईई/जोन-हरी पर्वत/2025-26 दिनांक 03.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि " 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा से क्षेत्र (1) आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-1 से 16 तक, (2) शास्त्रीपुरम, (3) पश्चिमपुरी, (4) भगवती विहार, (5) दीप नगर, (6) राहुल नगर, (7) दहतोरा, (8) लखनपुर, (9) जगदीशपुरा, (10) बोदला, (11) मारुति स्टेट, (12) शारदा विहार, (13) अवधपुरी, (14) अलबतिया, (15) दौरेठा, (16) केदार नगर, (17) माहौर नगर आदि सम्बन्धित क्षेत्र भी 36 एम0एल0डी0 से उपचारित किये जाने के सूचना प्रेषित है।

अग्रेतर दक्षिणी गेट के बाहर कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु पोल आधारित ट्रान्सफार्मर (अनुमानित 11 के0वी0ए0) स्थित है। दक्षिणी गेट के अन्दर कालोनी में ओवरहेड वाटर टैंक, मन्दिर व गार्ड रूम स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ संलग्न है।



(स) 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा के शोधित उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रण/विश्लेषण का कार्य सप्ताहिक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत कार्मिको द्वारा सप्ताहिक किया जा रहा है। माह अगस्त, 2025 की विश्लेषण आख्या संलग्न-2 है। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालको की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	02.08.2025	-	7.86	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	70.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	02.08.2025	mg/l	28.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling

4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	110.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	680	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling

S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	08.08.2025	-	7.69	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	74.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	28.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	600	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling


S.N.	Parameter/Method Name	Sampling Date	Unit	Results	Standard	Detection Range	Compliance Status w.r.t. MoEF & CC norms dated 13.10.2017
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	14.08.2025	-	7.93	6.5-8.5	02-12	Compling
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023		mg/l	58.0	100.0	10-20000 mg/l	Compling
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023		mg/l	27.0	30.0	1.0-50000 mg/l	Compling
4	COD, APHA 24 th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023		mg/l	130.0	250.0	5.0-100000 mg/l	Compling
5	Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure		MPN/100 ml	610	1000	<1.8MPN /100 ml & above	Compling

निष्कर्ष:-


- वादी श्री पूरन सिंह चौहान की उपस्थिति निरीक्षण किया गया।
- खसरा सं०-151 कुल क्षेत्रफल-1.2640 हेक्टेयर है एवं खसरा सं०-152 में 152/1मि० क्षेत्रफल 3.3650 हेक्टेयर एवं 152/2 क्षे.फ. 0.6740 हेक्टेयर है।
- मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या 1742/डी/अ.नि./25-26 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा संख्या- 151(कुल स्वीकृत क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्थल पर मनहर ग्रीन कॉलोनी स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल-10469.12 वर्गमी० में ही विकसित है।
- मै० गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी०) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्को की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी० है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है।
- आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिशा की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु ए०डी०ए० पत्रांक-1711/डी/अ०नि०/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
- खसरा सं०-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चकमार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी० चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है, यद्यपि कॉलोनी निवासियों द्वारा उत्तर दिशा में स्थापित गेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं०-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु ए०डी०ए० पत्रांक-1668/डी/अ०नि०/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
- ई०टी०एस० के माध्यम से पैमाईश के अनुसार गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी गाटा संख्या 151 में बनी है। गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट से एक रास्ता/सड़क प्रचलित है तथा उक्त सड़क के दोनों ओर त्रिभुज आकृति में खाली भूमि पड़ी हुई है। जिस पर कुछ वृक्ष एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रश्नगत स्थल सर्वेयर से प्राप्त भूचित्र के अनुसार खसरा सं०-151 में 58.62 वर्गमी० तथा खसरा सं०-152 में 179 वर्गमी० का भाग है।
- कॉलोनी के दक्षिण गेट के बाहर आवासीय कॉलोनी से जनित घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) का निस्तारण सीवेज प्रणाली (भूमिगत पाईपलाइन एवं मैनहॉल) के माध्यम से 36 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) सदरवन बिचपुरी, आगरा में उपचारित किया जाता है।


उपरोक्त जाँच आख्यायें महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड,
आगरा।


उपजिलाधिकारी (सदर),
आगरा।


अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।


अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे),
आगरा।


सचिव (आगरा विकास प्राधिकरण),
आगरा।



कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

पत्रांक - 493/L-276/2025

दिनांक- 03/09/2025

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय प्रवर्तन-अनुभाग पत्र सं0-1713/डी/अ0नि0/2025-26 दिनांक 02.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024 Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी कार्यालय आदेश पत्र सं0-483/एल-276/2025 दिनांक 27.08.2025 द्वारा समिति गठित करते हुये दिनांक 30.08.2025 को संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया, जिसके तत्कम में सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा नियत समय व तिथि पर संयुक्त निरीक्षणोपरान्त आख्या प्रेषित की गयी है। जो कि क्रमशः है-

" अवगत कराना है कि श्रीमती सुनीता पालीवाल पत्नी श्री निरंजन पालीवाल, सचिव द्वारा श्री तीर्थ सहकारी आवास समिति लि. के नाम से ग्राम-मोहम्मदपुर खसरा नं0-151 आगरा के कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी0 पर दिनांक 04.08.2010 को आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया। उक्त तलपट मानचित्र को खसरा नं0-151 के उत्तर दिशा में विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत कराया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा जिस संदर्भित भूमि का उल्लेख किया गया है वह भूमि खसरा नं0-152 है। इस संदर्भित भूमि पर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है।"

उक्त प्रस्तुत स्थल की आख्या के परिशीलनोपरान्त निम्नांकित तथ्यों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है:-

(क) मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीरपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 (कुल क्षेत्रफल 10469.12 वर्ग मी0) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्को की संख्या, क्षेत्रफल एवं ग्रीनबेल्ट का विवरण तथा वर्तमान की स्थिति का उल्लेख नहीं है।

(ख) खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग कर 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीरपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किया जा रहा है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरत दक्षिण दिशा में स्थापित गेट के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विभागीय कृत कार्यवाही की सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(ग) आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा खसरा सं0-152, में सार्वजनिक उपयोग के लिये पार्क और अन्य उपयोगिता (यूटिलिटी) जैसी- आवश्यक सुविधाओं के लिये भूमि का आवंटन की वस्तु स्थिति का उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु सं0-क, ख एवं ग के सम्बन्ध में तथ्यात्मक साक्ष्य सहित आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0-2 की ओर से मा0 अधिकरण में रिस्पॉन्स ससमय दाखिल किया जाना है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 09.09.2025 नियत हैं।

भवदीय



(अरविन्द मल्लिक बंगारी)

जिलाधिकारी

आगरा।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

जिलाधिकारी

आगरा।



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1737/57/अ0नि0/2025-26

दिनांक : 04.09.2025

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024, Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्रांक-493/L-276/2025, दिनांक 03.09.2025 में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

बिन्दु सं0-01 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी0) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट स्वीकृत मानचित्र (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार पार्कों की संख्या-02 है, जिनका संयुक्त रूप से क्षेत्रफल 1,573.63 वर्गमी0 है। ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 में स्वीकृत मानचित्र अनुसार ग्रीनबेल्ट नहीं है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के मध्य में एक बड़ा पार्क है, उक्त पार्क विकसित है। दूसरा पार्क स्वीकृत तलपट मानचित्र की दक्षिण दिशा की ओर है, जो तलपट मानचित्र के अनुरूप विकसित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में संबंधित विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1711/डी/अ0नि0/25-26, दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।


बिन्दु सं0-02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खसरा सं0-151 में स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार उत्तर दिशा में प्रवेश व निकास हेतु विद्यमान चक मार्ग को रोड़ वाइडनिंग सहित 12.00 मी0 चौड़ा करते हुए एप्रोच देकर स्वीकृत किया गया है। यद्यपि मै0 गायत्री मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा के स्थानीय निवासियों द्वारा दक्षिण दिशा में खसरा सं0-152 की तरफ स्थापित गेट से प्रवेश व निकास हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को स्वीकृत ले-आउट मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर कार्य/उपयोग किये जाने हेतु पत्रांक-1668/डी/अ0नि0/2025, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु सं0-03 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-152मि0/1 की भूमि पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार कोई भी पार्क एवं उपयोगिता (यूटिलिटी) हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर सिर्फ आवासीय भूखण्ड सृजित किए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सादर अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं०-152मि०/1, रकवा 0.6910 है० भूमि सिकन्दरा आवासीय योजना (शास्त्रीपुरम) के अन्तर्गत भू-अर्जन अधियम, 1894 की धारा-4(1)/17 दिनांक 30.01.1989 व धारा-6(1)/17 दिनांक 05.09.1989 में शामिल है, जिसका एवार्ड दिनांक 08.11.1991 को घोषित हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त अर्जित भूमि की प्रश्नगत संदर्भित स्थल (मनहर ग्रीन कॉलोनी दक्षिण बाउण्ड्री) से दूरी लगभग 200 मी० है (सजरा प्लान की छायाप्रति संलग्न)।

अतः तदनुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीया

 4/9/25

उपाध्यक्ष,
आ०वि०प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।


उपाध्यक्ष



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1757/डी/आ010/25-26

दिनांक : 06/09/2025

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गोजित ओ0ए0 सं0-994/2024, Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्रांक-635/ओएसडी, दिनांक 06.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024, Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने से संबंधित है। उक्त के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1. Septic Tank and Transformer (Khasra No. 152) :

- खसरा संख्या-152 पर सेप्टिक टैंक के निर्माण एवं ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गयी है। उक्त कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति का कार्य टोरण्ट पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

2. Use of South Gate and Access Road :

- दिनांक 03.09.2025 एवं अद्यतन अवधि तक डेवलपर्स द्वारा कोई भी जबाव नहीं दिया गया। स्वीकृत तलपट के विपरीत निर्माण किये जाने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद योजित किया गया। वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 20.09.2025 नियत की गयी है। (संलग्नक-1)

3. Development of Second Park :

- प्रत्येक मानचित्र 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। मनहर ग्रीन कॉलोनी के स्वीकृत तलपट के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने की तिथि 03.08.2015 थी।

4. Clarification on Khasra No. 152 (Letter dated 04.09.2025) :

- मनहर ग्रीन कॉलोनी के दक्षिणी गेट के समीप विवादित स्थल (खसरा संख्या-152/2) पर कोई भी मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अपितु कुछ दूरी पर खसरा संख्या-148, 152/1 पार्ट, 152/2 पार्ट व 171 के कुल क्षे0-18987.10 वर्गमी0 पर आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत भावना सिटी मानचित्र संख्या-20200109224428727 स्वीकृत है एवं विकसित है। (संलग्नक-2)

5. Damage Boundary Wall :

- विषयगत स्थल पर प्राधिकरण द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

6. Annexures :

- संलग्नक-09 एवं 10 पुनः प्रस्तुत है।
कृपया तदनुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीया,


उपाध्यक्ष,
आ0वि0प्रा0, आगरा।



कार्यालय विहित प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश।
प्रपत्र-क)
(कृपया विनम्र 8 देखिये।)



दिनांक : 06/09/2025	घाट संख्या : ADA/L/M/NI/2025/0002003
प्रेषण दिनांक : 06/09/2025	प्रेषण संख्या : ADA/SP/003510

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

आगरा विकास प्राधिकरण
बनाम
श्रीमती सुनीता धानीवाल

भूखंड संख्या :	ससरा संख्या-151 लोहामण्डी, लोहामण्डी, मोहम्मदपुरभवन संख्या-2 मनहर ग्रीन कॉलोनी, ससरा संख्या-151 ग्राम मोहम्मदपुर शास्त्रीपुरम लोहामण्डी बार्ड, आगरा, n	मोबाइल नंबर :
जोन :	लोहामण्डी	ईमेल आईडी :
बार्ड :	लोहामण्डी	
मोहल्ला :	मोहम्मदपुर	

अनाधिकृत निर्माण का विवरण :-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	लगायत 10469 12 वर्गमी) पर स्वीकृत तलपर मानचित्र के विपरीत दक्षिण दिशा में गेट का निर्माण।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	भवन संख्या-2 मनहर ग्रीन कॉलोनी, ससरा संख्या-151 ग्राम मोहम्मदपुर, शास्त्रीपुरम लोहामण्डी बार्ड, आगरा।
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अंशिक तिथि	n
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ गया	03/09/2025
लौहटी	
पूरब	n
पश्चिम	n
उत्तर	n
दक्षिण	n
घट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री धर्मवीर सिंह कौशिक
घट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	भवन संख्या-2 मनहर ग्रीन कॉलोनी
प्रकार/विशेषता	अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत।
प्रतिबंदन करने वाले का पदनाम	अग्र अधिवक्ता
प्रतिबंदन करने वाले की सिकाफिस	सिकाफिस के आधार पर अनाधिकृत निर्माण

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण आगरा कार्यालय में दिनांक 20/09/2025 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वांक निर्माण कास्ट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए। आप स्वयं अथवा अपने एजाइवि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।


प्रवर्तन रीप से प्राप्त विवरण :-

1. भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	10469 12			
2. जोन	लोहामण्डी			
3. क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं			
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति है?	हाँ			
5. क्या स्वीकृति के विपरीत भूमि का उपयोग हुआ है?	हाँ			
5.1 किस प्रयोजन हेतु स्वीकृति है?	आवासीय			
5.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है?	आवासीय			
6. क्या स्वीकृति के विपरीत निर्माण हो रहा है?	हाँ			
6.1 क्या निर्मित तल में विचलन है?	नहीं			
6.2 क्या निर्मित भूखण्ड क्षेत्र में विचलन है?	नहीं			
A. कितने तल की स्वीकृति है? N/A	B. कितने तल में विचलन है? N/A	C. विचलित तल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) N/A	A. अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) N/A	B. क्या सेटबैक में निर्माण हुआ है? नहीं

टिप्पणी - आपको इस अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी इतिहास बताया है जिसके अन्तर्गत आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अनाधिकृत निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए। जो 50 000/- रु= (रुपय 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दृष्टि से अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार जांचित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध करवाया जाने के बाद जारी हो रु= 2 500/- तक हो सकता है इतनीय होगा।


Reminder(3) ok

Rajeev Ratan Pratap Singh
सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण



20/10/2018 - 2

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली (9)





आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1742/डी/अ0नि0/25-26

दिनांक : 04.09.25

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), दिनांक 025
आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0-994/2024, Puran Singh Chouhan Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपसे दूरभाष पर हुई वार्तानुसार प्राधिकरण पत्रांक-1737/डी/अ0नि0/2025-26, दिनांक 04.09.2025 के क्रम में सादर अवगत कराना है मनहर ग्रीन कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा में ग्राम-मोहम्मदपुर, खसरा सं0-151 (कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी0) में आगरा विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत है। स्थल पर मनहर ग्रीन कॉलोनी स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल 10469.12 वर्गमी0 में ही विकसित है।

अतः तदनुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीयं

मुख्य अभियन्ता,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या 635/ओएसडी

दिनांक 06 सितम्बर, 2025

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 994/2024 पूरन सिंह चौहान बनाम उ०प्र० राज्य में मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 17.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 09.09.2025 नियत है।

उल्लेखनीय है कि श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी० द्वारा संदर्भित प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः सुस्पष्ट आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

Septic Tank and Transformer (Khasra No. 152):

Please clarify the basis and justification for the establishment of the septic tank and transformer in Khasra No. 152 when these facilities are being used by the residents of Gayatri Manhar Green Colony developed on Khasra No. 151.

Use of South Gate and Access Road:

As per records, ADA had sought a response from the developer regarding the use of the South Gate and adjoining road by 03.09.2025. Kindly provide a copy of the developer's response. If no response has been received, please inform this office of the action taken by ADA against the developer.

Development of Second Park:

Please provide the timeline (time-frame) given to the developer for developing the second park within the colony.

Clarification on Khasra No. 152 (Letter dated 04.09.2025):

It is noted that ADA's clarification dated 04.09.2025 addressed only Khasra No. 152/1 regarding allotment of land for essential utilities and parks, whereas the disputed portion lies in Khasra No. 152/2. Please provide specific clarification regarding Khasra No. 152/2.

Damaged Boundary Wall:

The Hon'ble Tribunal has repeatedly discussed the issue of the damaged boundary wall in its previous orders. Kindly provide detailed information and the status of compliance/action taken in this regard.

Annexures:

It has been observed that Annexure 9 and Annexure 10 submitted by ADA are not proper and appear to be mis-arranged. Kindly re-submit the correct annexures in proper order.

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल सुस्पष्ट आख्या आज ही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही दिनांक 09.09.2025 को निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आख्या/सूचनाओं सहित उपस्थित रहें।


(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक तद।

प्रतिलिपि : श्री भंवर पाल सिंह जी, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : -

- 1- उप जिलाधिकारी, सदर, आगरा को इस आशय के साथ कि ए0डी0ए0 से उपरोक्त आख्या प्राप्त कर आज ही श्री भंवर पाल सिंह जी, स्थाई अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आगरा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिलाधिकारी,
आगरा।